न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 18/2012

निर्णय दिनांक:– 29.1.2016

उनवान

1.लड्डू पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी दोबडियां तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी दोबडियां तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादीगण
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी साबिक ख0न0 220 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम दोबडिय तहसील उनियारा जिला टोंक को वादीगण के पूर्वज द्वारा फाड तोडकर काबिल काश्त बनाइ थी तब से वादीगण क पूर्वज व उनके पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण सम्वत 2056 से भी पूर्व से आज तक लगातार निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा राज्य सरकार को पेनेल्टी जमा कराते चले आ रहे है। वादीगण का उक्त आराजी पर गत 15 वर्षो से भी अधिक समय का कब्जा काश्त चला आ रहा होने के कारण वादीगण का कब्जा मुखालिफाना हो गया है। इस कारण वादीगण उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वादी को आराजी ख0न0 220 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम दोबडियां तहसील उनियारा जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे ना ही बेदखली की कार्यवाही करे और ना ही पेनेल्टी आदि की वसूली की कार्यवाही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्न तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक है। सिवायचक भूमियों पर वाद पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है। आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन सलाहाकार समिति के द्वारा ही नियमानुसार भूमियों का आवंटन/ नियमन किये जाने का

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

प्रावधान है। वादीगण का बतौर अतिक्रमी कब्जा काश्त है। वादीगण के खिलाफ समय समय पर धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। यदि प्रकरण मे प्रतिवादीगण को पावन्द कर दिया गया तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जावे।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई।

1.आया वादीगण आराजी ख0न0 220 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम दोबडियां तहसील उनियारा की खातेदारी प्राप्त करने इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने के अधिकारी है?

—वादीगण

2.आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक है, जिसे आवंटन सलाहाकार समिति को ही आवंटन/नियमन करने का अधिकार है, वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का अतिक्रमी की हैसीयत से कब्जा होने से वाद वादीगण खारिज योग्य है?

—पेरोकार सरकार

3.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नोटिस दिनांक 2.2.15 प्रदर्श 1, असल रसीदात डाक खाना प्रदर्श 2 ता 5, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 6, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2067 प्रदर्श 8, नकल खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 9 ता 11 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 लड्डूलाल, पी.डब्लू. 2 लड्डू, पी. डब्लू. 3 तेजपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 220 पर सम्वत 2056 से 2058, 2060 से 2064, 2065, 2067 मे वादी की काश्त का अंकन है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। जिस पर तहसीलदार उनियारा के द्वारा समय समय पर राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखली की भी कार्यवाही की जा रही है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा एक अतिक्रमी की हैसीयत का है। बिना आवंटन/नियमन वादीगण को किसी भी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नही हो सकते। वादग्रस्त भूमि आवंटन सलाहाकार समिति के द्वारा ही आवंटन व नियमन की जा सकती है। इस प्रकार वादीगण आराजी ख0न0 220 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम दोबडियां तहसील उनियारा की खातेदारी प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने को अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.1.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.लड्डू पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी दोबडियां तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी दोबडियां तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 18 वर्ष 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 01 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner